उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजस्थान)

अधिकारी:—सुनिता यादव, आर.ए.एस.

संख्या:—74 / 2017 प्रार्थना पत्र

कुट बिहारी पिता बंशीलाल गर्ग, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

त्तम कुमार पिता बंशीलाल गर्ग, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

शि कुमार पिता बंशीलाल गर्ग उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा वगैराह

——प्रार्थीगण

बनाम

छीतर पिता भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

मति लक्ष्मणकंवर पत्नि मोहनसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील भीलवाड़ा

बालू पिता मोहन खाती, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

नंदलाल पिता मोहनलाल खाती, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा 5—श्री

भैरूलाल पिता मोहनलाल खाती, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:—.23.5.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल..तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/ संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1297 रकबा 8 बिस्वा, 1298 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, 1299 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.3.2017 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह वात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा—फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल..तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1297 रकबा 8 बिस्वा, 1298 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, 1299 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक मुवाणा को 300/—रूपये (अक्षरे:—तीन सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:—तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner